* ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/सड़क–09–01/2018 60 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 14/09/18

विषयः– **विभिन्न नगर निकायों में पूर्व में पथ एवं पुलिया निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए देनदारी की राशि कुल ₹152.31961 लाख (एक करोड़ बावन लाख एकतीस हजार नौ सौ एकसठ रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018–19 में पथ एवं पुलिया निर्माण मद से सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में विभिन्न नगर निकायों में पथ एवं पुलिया निर्माण मद अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित की गई थी। तद्नुसार निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजनाओं के लिए आवंटित राशि के व्ययोपरांत अवशेष राशि की अधियाचना नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर द्वारा किया गया है।

2. उक्त अधियाचना के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में वर्णित योजनाओं के लिए स्तम्भ– 8 के अनुरूप देनदारी की कुल राशि ₹152.31961 लाख (एक करोड़ बावन लाख एकतीस हजार नौ सौ एकसठ रु०) मात्र की स्वीकृति पथ एवं पुलिया निर्माण मद से निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	अवशेष राशि (5–6)	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, बेगूसराय	गाछी शर्मा टोली से सिपाही जी घर तक सड़क निर्माण कार्य।	350/ 28.03.2017	49.73000	24.86500	24.86500	24.86500
2	नगर पंचायत, जगदीशपुर	वार्ड नं०– 14 एवं 15 में गोरख ओझा के घर से मुनगुन सरथ के घर होते हुए मस्जिद होते हुए मुहर्रम जी के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	161/ 27.03.2018	46.67761	5.00000	41.67761	41.67761
3		वार्ड नं०– 10 स्थीत काली मंदिर से दयाराम बाबा के पोखर होते एन०एच०– 30 तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	128/ 08.03.2018	33.37935	16.68968	16.68967	16.68968

4		मेन रोड कोतवाली से विशेन टोला होते संजय पासवान के घर होते शिवजी पोखरा तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	128/ 08.03.2018	45.75785	22.87893	22.87892	22.87893
5		वार्ड नं०– 17, 18 मुसा चाय दुकान से भुवन भटाचार्य के घर होते हुए जमाल जी के घर होते हुए राम आशीष के होते हुए नहर पुल तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	128/ 08.03.2018	44.06075	22.03038	22.03037	22.03038
6		मेन रोड दुलौर गली से जागा के पीपल होते मीट मार्केअ होते बिहियॉ पीरो रोड़ बौली तालाब तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	128/ 08.03.2018	48.35601	24.17801	24.17800	24.17801
			योग	**267.96157**	**115.64200**	**152.31957**	**152.31961**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹152.31961 लाख (एक करोड़ बावन लाख एकतीस हजार नौ सौ एकसठ रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹152.31961 लाख (एक करोड़ बावन लाख एकतीस हजार नौ सौ एकसठ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत ₹152.31961 लाख (एक करोड़ बावन लाख एकतीस हजार नौ सौ एकसठ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष– 0103–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031930103,** विषय शीर्ष– 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क–09–01/2018 के पृष्ठ सं०–.....30...... /टि० पर दिनांक–..12/09/2018.. को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–......30....... /टि० पर दिनांक–..12/09/2018.... को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय एवं भोजपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/सड़क–09–01/2018 60 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 14/09/18

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय एवं भोजपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.09.18

सरकार के विशेष सचिव।